उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेशकों को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 22-09-2025 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थितिः-

1. डा० रूपेश कुमार, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ
2. श्री राज कुमार, विशेष सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन।
3. श्री इन्द्रजीत सिंह, निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, (यूपीनेडा) ।
4. श्री राम प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन (विशेष सचिव, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि)।
5. श्री संजय कुमार त्रिपाठी, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन (विशेष सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)।
6. श्री पंकज सिंह, सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा ।
7. श्री सुबोध दीक्षित, मुख्य प्रबन्धक, कोल इण्डिया लिमिटेड।
8. श्री एस०के० दत्ता, निदेशक, (पी &सी) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
9. श्री नरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा ।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

1. श्रीमती जे. रीभा, जिलाधिकारी- बाँदा ।
2. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी, जालौन।

बैठक में अवगत कराया गया कि उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति-2022 एवं उ०प्र० जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं एवं जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेशकों को लीज पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के लिये शासनादेश

निदेशक
यूपीनेडा

सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी
यूपीनेडा

दिनांक 03-08-2023 द्वारा अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित है। निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेशकों को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा शासनादेशों/नीतियों की शर्तों के अनुसार पात्र एवं पूर्ण पाये गये। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा प्रस्तुत की गयी संस्तुतियों को उच्च स्तरीय समिति द्वारा जनपदवार निम्नवत स्वीकार किया गयाः-

1- <u>जनपद- जालौन।</u>

(उ0प्र0 राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य गठित होने वाले संयुक्त उपक्रम हेतु भूमि आवंटन)

(1) निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड (जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं) के मध्य गठित होने वाले संयुक्त उपक्रम (joint venture) द्वारा जनपद जालौन में 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जानी है। प्रस्तावित सौर परियोजना हेतु जनपद-जालौन की तहसील कालपी के ग्राम-जितामऊ मुस्तकिल, परा, कहटा हमीरपुर, दहेलखण्ड मुस्तकिल, इगुई, पाल, मल्थुआ, मडैया, कोडा किराही, तहसील-माधौगढ के ग्राम-गोपालपुरा, सुपा नुनाईचा एवं रामपुरा माधोगढ एवं तहसील-उरई के ग्राम_ग्राम-ददरी,टीकर, रामपुरा, मकरेच्छा एवं बन्धौली में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए कुल 2282.058 एकड भूमि चिंन्हाकित की गयी है। चिंन्हाकित कुल 2282.058 एकड भूमि को जिलाधिकारी जालौन के पत्र सं0 528, दिनांक 13-02-2024, पत्र सं0 529, दिनांक 14-02-2024, पत्र सं0 530, दिनांक 14-02-2024, पत्र सं0 545, दिनांक 24-02-2024, पत्र सं0 845, दिनांक 03-07-2025 , पत्र सं0 850, दिनांक 11-07-2025, पत्र सं0 869, दिनांक 16-07-2025, पत्र सं0 891, दिनांक 31-07-2025 , पत्र सं0 890, दिनांक 31-07-2025, पत्र सं0 566ए, दिनांक 22-03-2024, पत्र सं0 566बी, दिनांक 22-03-2024, पत्र सं0 566सी, दिनांक 22-03-2024, पत्र सं0 555, दिनांक 04-03-2024, पत्र सं0 868, दिनांक 17-07-2025,

पत्र सं0-872, दिनांक 19-07-2025 द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 30 वर्ष के लिए पट्टे पर उपलब्ध करायी गयी है।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम-जितामऊ मुस्तकिल, परा, कहटा हमीरपुर, दहेलखण्ड मुस्तकिल, इगुई, पाल, मत्थुआ, मडैया, कोडा किराही, तहसील- माधौगढ के ग्राम-गोपालपुरा, सुपा नुनाईचा एवं रामपुरा माधोगढ एवं तहसील-उरई के ग्राम ग्राम-ददरी,टीकर, रामपुरा, मकरेच्छा एवं बन्धौली में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए कुल 2282.058 एकड भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम को रूपये 1/- प्रति एकड प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित किये जाने के संबंध में निदेशक, यूपीनेडा द्वारा की गयी संस्तुति को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकार किया गया:-

1- स्वीकृति की तिथि से 01 माह के भीतर अनुबंध कर लिया जाएगा।

2- 31 दिसम्बर 2025 तक परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

3- निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य न कराये जाने पर यूपीनेडा द्वारा रूपये 01.00 लाख प्रति माह की दर से पेनाल्टी लगाये जाने की कार्यवाही की जाये ।

2- <u>जनपद- जालौन।</u>

(यूपीनेडा एवं एनएचपीसी के संयुक्त उपक्रम, बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड हेतु भूमि आवंटन)

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एमएनआरई) भारत सरकार की सोलर पावर एवं अल्ट्रामेगा सोलर परियोजना विकास के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (यूपीनेडा एवं एनएचपीसी का संयुक्त उपक्रम) द्वारा जनपद जालौन में 1200 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रस्तावित सोलर पार्क हेतु जनपद-जालौन की तहसील माधौगढ के ग्राम- ग्राम-कर्रा, जायघा, मई, कंजौसा, भिटौरा, महुटा एवं रामपुरा जागीर में कुल 116.64 एकड सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित 116.64 एकड सरकारी भूमि को जिलाधिकारी जालौन के आदेश सं0 833, दिनांक 17-06-2025, आदेश सं0 834,

दिनांक 17-06-2025, आदेश सं0 835, दिनांक 17-06-2025, आदेश सं0 836, दिनांक 17-06-2025, आदेश सं0 837, दिनांक 17-06-2025, आदेश सं0 838, दिनांक 17-06-2025 एवं आदेश सं0 839, दिनांक 17-06-2025 द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करायी गयी है।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा जनपद जालौन की तहसील माधौगढ के ग्राम- ग्राम-कर्रा, जायघा, मई, कंजौसा, भिटौरा, महुटा एवं रामपुरा जागीर में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए कुल 116.64 एकड भूमि, बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (यूपीनेडा एवं एनएचपीसी का संयुक्त उपक्रम) को रूपये 1/-प्रति एकड प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित किये जाने के संबंध में निदेशक, यूपीनेडा द्वारा की गयी संस्तुति को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकार किया गया:-

1- स्वीकृति की तिथि से 01 माह के भीतर अनुबंध कर लिया जाएगा।

2- निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य न कराये जाने पर यूपीनेडा द्वारा रूपये 01.00 लाख प्रति माह की दर से पेनाल्टी लगाये जाने की कार्यवाही की जाये ।

समिति के सदस्य के रूप में जिलाधिकारी-जालौन द्वारा वर्चुअल माध्यम से सहमति दी गयी।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(इन्द्रजीत सिंह) निदेशक, यूपीनेडा।	(नील रतन कुमार) विशेष सचिव, वित्त विभाग।	(राम प्रकाश सिंह) संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग।	(नरेन्द्र भूषण) अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग।

उ0प्र0 शासन
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
संख्या-आई/ 1154277 / 87-01010(099)/1/2024
लखनऊः दिनांकः 25 नवम्बर, 2025

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
4. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जालौन/बाँदा।
6. मुख्य प्रबन्धक, कोल इण्डिया लिमिटेड ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SUNIL KUMAR CHAUHAN
Date: 25-11-2025
18:06:34

(सुनील कुमार चौहान)
उप सचिव।